

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in m

क्रमांक/माचि/2020/ 3172
प्रति,

शहडोल, दिनांक 02/07/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

- विषय - करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु 0.841 हे. वनभूमि म.प्र. जल मिशन मर्यादित पी.आई.यू. शहडोल को उपयोग पर देने बावत (प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/39770/2019)
- संदर्भ - 1. वन संरक्षक एवं पदेन वमंअ उमरिया का ज्ञापन क्रमांक/माचि./801 दिनांक 30.05.2020.
2. कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/माचि./2522 दिनांक 06.06.2020.
3. वन संरक्षक एवं पदेन वमंअ उमरिया का पत्र क्रमांक/माचि./950 दिनांक 24.06.2020.

☆☆☆

विषयान्तर्गत निवेदन है कि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.आई.यू. शहडोल द्वारा करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत वनभूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये 0.992 हे. में से 0.841 हे. वनभूमि का ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी में प्रस्ताव संदर्भित पत्र-1 से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में पायी गयी कमियों/त्रुटियों की पूर्ति हेतु संदर्भित पत्र-2 से वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी उमरिया को वापस किया गया था।

वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, उमरिया वनमण्डल ने संदर्भित पत्र - 3 से प्रकरण में पायी गयी कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रकरण ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में भाग-3 की कार्यवाही पूर्ण कर आगामी कार्यवाही हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी में प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 02 प्रतियों में।

(पी.के.वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/माचि/2020/ 3173
प्रतिलिपि-

शहडोल, दिनांक 02/07/2020

1. वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

भाग - III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, उमरिया वनमण्डल द्वार करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत वनभूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.841 हे. वनभूमि की मांग न्यूनतम है तथा उपयोग में दिये जाने की अनुशंसा की है। यह कार्यालय भी सहमत है।

तिथि: 2 / 07 / 2020

स्थान: शहडोल (म.प्र.)

(पी.के.वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)